आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर०ई० वाद सं०– 11/2019–20

तुरसा मुर्मू

बनाम

जुगल मुर्मू

आदेश

7.3.20

प्रस्तुत उच्छेदी वाद आवेदक तुरसा मुर्मू, पिता– स्व० जीतु मुर्मू उर्फ भोण्डे मुर्मू, सा०– केशरो, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये है। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षीगण को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा
केशरोल	32	570	00–09–14 में से 00–09–01

आज उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा केशरोल के जमाबंदी नं०– 32, दाग नं०– 774, रकवा 09 कट्ठा 14 धूर जमीन खतियानी रैयत आवेदक के दादा स्व० तुरसा मुर्मू व मिर्जा मुर्मू के नाम से दर्ज है। वर्तमान में जमाबंदी नं०– 32 का एक मात्र खतियानी रैयत स्व० तुरसा मुर्मू के पोता तुरसा मुर्मू है। आवेदक तुरसा मुर्मू को छोड़ कर अवशेष खतियानी रैयत का कोई वारिस नही है। जिस वजह से जमाबंदी नं०– 32 का सम्पूर्ण जमीन कुल रकवा 27 बीघा 05 धूर भूमि का वारिस आवेदक तुरसा मुर्मू ही है। विपक्षी जुगल मुर्मू का संबंध आवेदक तुरसा मुर्मू से किसी भी तरह का नहीं है। विपक्षी एक शातिर व चालाक किस्म का व्यक्ति है। विपक्षी जुगल मुर्मू आवेदक तुरसा मुर्मू को कमजोर एवं मजबुर समझकर परेशान करते रहते हैं तथा आवेदक को कहते है कि तुम्हारे पास काफी जमीन है, इसलिए तुम मुझे कुछ जमीन दान स्वरूप दे दो। दिनांक 15.06.2019 दिन शनिवार को 08 बजे दिन में आवेदक उक्त वर्णित जमीन जिसका जमाबंदी नं०– 32, दाग नं०– 570, रकवा 09 कट्ठा 14 धूर में से 09 कट्ठा 01 धूर जमीन में आवेदक अपने झोपडीनुमा मकान बना रहे थे, तभी विपक्षी असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर आवेदक के काम में बाधा पहुँचाने लगे तथा खुटा–खम्भा गाडने का विरोध करने लगे। आवेदक ने कहा कि जमीन आपका है तो आप कागज दिखाये। इस पर विपक्षी ने कहा मेरे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन 09 कट्ठा 01 धूर जमीन लेकर ही रहेंगे। इस तरह विपक्षी आये दिन आवेदक को मारने–पीटने एवं

Scanned with CamScanner

जमीन को अवैध रूप से हड़पने को तैयार रहते हैं। आवेदक एक भोला–भाला, सीधा–साधा किस्म का व्यक्ति है एवं उक्त वर्णित जमीन का सभी कागजात उपलब्ध है।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने विपक्षी को उक्त वर्णित जमीन से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं।

जबाब में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने सिर्फ इतना ही कहा कि विपक्षी जुगल मुर्मू ने उक्त वर्णित जमीन शपथ दान–पत्र के माध्यम से क्रय कर प्राप्त किये हैं। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन का राशि विपक्षी को वापस करने हेतु अनुरोध किये हैं। विपक्षी ने अपने दावे के समर्थन में लिखित बहस/कागजात दाखिल नहीं किये हैं। अतः विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदक के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को समाप्त करने का अनुरोध किये हैं।

अंचल अधिकारी, पतना ने पत्रांक 540/रा0, दिनांक 13.12.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा केशरोल जाकर ग्राम प्रधान तथा स्थानीय ग्रामीणों से जमाबंदी नं0– 32 के दाग नं0– 570 पर जुगल मुर्मू एवं तुरसा मुर्मू के बीच विवाद के संबंध में पुछ–ताछ किया और पाया कि द्वितीय पक्ष जुगल मुर्मू, पिता– स्व0 धुनू मुर्मू, ग्राम– जसाईडीह, पो0– तालबडिया, पंचायत– तालबडिया, अंचल– बरहेट वर्तमान पता ग्राम– सीतापहाड, अंचल पतना, थाना– रांगा, जिला– साहेबगंज ने मौजा केशरोल अंतर्गत जमाबंदी नं0– 32 के दाग नं0– 570 को दखल या दावेदारी नहीं किया है। तुरसा मुर्मू, पिता– स्व0 भाण्डे मुर्मू, सा0– केशरो ने अपने जमाबंदी नं0– 10 के दाग नं0– 569 के कुल रकवा 46 डिसमिल भूमि का आंशिक रकवा 15 डिसमिल जमीन को शपथ पत्र सं0 4313 दिनांक 09.12.2005 के द्वारा दान पत्र पर घर बनाने हेतु द्वितीय पक्ष जुगल मुर्मू, पिता– धुनू मुर्मू को दिया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जिसके लिये प्रथम पक्ष ने आवेदन दिये है, पर द्वितीय पक्ष का दखल नही है।

अतएव आवेदक के द्वारा दाखिल उच्छेदी वाद आवेदन को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner